UPEW010053702022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–07 इटावा/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

अन्तिम रिपोर्ट वाद सं0 : 1024/2022

CNR NO–UPEW010053702022

मो०कफील बनाम अम्बादत्त पाण्डेय आदि।

मु०अ०सं० : 126/2022

धारा–504,392,506,342

भारतीय दण्ड संहिता।

थाना–सिविल लाइन,

जिला–इटावा ।

<u>दिनांक 21.12.2023</u>

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई । वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र 9 क पर सुना जा चुका है।

2. वादी मुकदमा की ओर से अंतिम रिपोर्ट संख्या 51/2022 दिनांकित 06.05.2022 पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 9 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके भाई शकील जो विगत करीब दस वर्षों से मीट का कारोबार करता चला आ रहा है,जिसके लाइसेंस रिन्यूअल हेतु डूडा कार्यालय फूड इंस्पेक्टर अम्बादत्त पाण्डेय के आवेदन पर रिन्यूअल के एवज में 50,000/–रूपये की मांग की गयी और पूरा न करने की सूरत में लाइसेंस रिन्यूअल न करने की धमकी दी गयी जिस पर वादी द्वारा उनके द्वारा की गयी इस मांग का विरोध किया गया तो उसके साथ बदसलूकी की गयी और दिनांक 30.03.2022 को समय करीब 12:30 बजे उसके भाई के साथ गाली गलौज की गयी विरोध करने पर अम्बादत्त पाण्डेय ने उसके भाई के ऊपर कट्टा तान दिया और भय में डालते हुये जेब में रखे 5600 रूपये निकाल लिये उसके द्वारा कॉल करने पर पुलिस व कई लोग इकट्ठे हो गये जिस पर अम्बादत्त पाण्डेय व उसके सहकर्मी जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक द्वारा फाइनल रिपोर्ट

इस आशय से प्रेषित की गयी है कि उक्त घटना से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य विवेचक को दौरान विवेचना संकलित नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप उक्त एफ०आर०न्यायालय में प्रेषित की गयी है। विवेचक द्वारा विवेचना में जो साक्ष्य संकलित की गयी है उसमें घोर विरोधाभाष है। मात्र कुछ स्वतंत्र साक्षी के बयानों जिनकी मौजूदगी संदेहास्पद हो और घटना से कोई सरोकार नहीं एवं घटना से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य न होने के अभाव में उक्त प्रकरण में एफ०आर०प्रेषित करना कानून के घोर विरूद्ध है। सभी साक्षी अभियुक्त के ही अधीनसथ कर्मचारी है। विवेचक द्वारा वादी के भाईजनों के बयान धारा–161द०प्र०संहिता अपने मन मुताबिक लिखे गये है। वादी द्वारा अपने समस्त गवाहनों के बयान द्वारा शपथपत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्ट्री भिजवाये गये थे,लेकिन विवेचक द्वारा उन शपथपत्रों को दरकिनार कर वादी के गवाहनों की मिथ्या साक्ष्य दर्ज कर न्यायालय में प्रेषित कर दी। घटना से सम्बन्धित वादी के अतिरिक्त किसी भी अन्य साक्षी का बयान विवेचक ने कभी दर्ज नहीं किया। प्रोस्टेट पिटीशन के साथ वादी उक्त घटना के सभी गवाहनों व चश्मदीद साक्षियों के बयान शपथपत्र के रूप में फिर से दाखिल कर रहा है,जिससे न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद हो। उक्त प्रकरण में समुचित साक्ष्य से कहीं अधिक साक्ष्य मौजूद है जिसे विवेचक द्वारा संग्रहीत एवं झूंठी साक्ष्य को संग्रहीत करने पर उक्त एफ०आर०किसी भी रूप में मान्य नहीं हो सकती। यह भी कहा गया है कि विवेचक का निष्कर्ष कि वादी द्वारा उक्त एफ०आई०आर० मात्र अपने ऊपर लिये गये मुकदमें में दबाब बनाने की वजह से है,बिल्कुल न्यायोचित नहीं हो सकता,क्योंकि अभियुक्त अम्बादत्त पाण्डेय द्वारा अपनी सरकारी पहुँच के कारण वादी के विरूद्ध उसके द्वारा किये गये कृत्य पर पर्दा डालना मात्र था। उक्त एफ०आर०निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर वादी द्वारा विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी एफ०आर०को निरस्त कर मुकदमा स्टेट में दर्ज कर नामजद अभियुक्तगणों को तलब करने की याचना की गयी है।

3. आवेदक/वादी मोहम्मद कफील द्वारा स्वंय का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

4. आवेदक/वादी मोहम्मद कफील की ओर से सूची 11ग से क्रमशः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.04.2022 की प्रति व मूल रजिस्ट्री रसीद व विवेचना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में स्वंय

का शपथपत्र एवं मो०इसरार, मो०शकील व दिलशाद के शपथपत्र की छायाप्रति एवं मूल रजिस्ट्री रसीद एवं सूची से दो किता प्रपत्र क्रमशः घटना से सम्बन्धित वीडियों सी०डी० दिनांकित 30.03.2023 व घटना से सम्बन्धित आठ फोटो की प्रतियां दाखिल किये गये हैं।

5. आवेदक/वादी मोहम्मद कफील की ओर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सत्य नरायण दुबे व अन्य बनाम श्रीमती शान्ति देवी व अन्य क्रि०मिस०अपील संख्या-5669/1984 निर्णीत दिनांकित 14.09.84 दाखिल की गयी है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा मोहम्मद कफील पुत्र मुहम्मद इकबाल निवासी उर्दू मुहल्ला स्टेशन रोड,थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा दिनांक 30.03.2022 को थानाध्यक्ष सिविल लाइन जिला इटावा को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना सिविल लाइन जिला इटावा में दिनांक 01.04.2022 को मु०अ० सं० 126/2022 धारा-504,392,506,342 भा०द०संहिता में अभियुक्त अम्बादत्त पाण्डेय व दो तीन व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रकरण में विवेचक द्वारा इस आधार पर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है कि वादी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमा लिखाने का उद्देश्य अपने ऊपर पंजीकृत मुकदमें में बेजा दबाब बनाने के उद्देश्य से लिखवाना परिलक्षित होता है। काफी साक्ष्य संकलित किया गया और प्रयास भी किया गया लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया जिससे उक्त मुकदमा न्यायालय में चलाया जाये। अतः उक्त मुकदमा को साक्ष्य के अभाव में जरिये अन्तिम रिपोर्ट समाप्त करना विधिसम्मत होगा। मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी गवाहान निरीक्षण घटनास्थल,बयान स्वतंत्र गवाहान आदि से मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य का अभाव है। अतः मुकदमा उपरोक्त की विवेचना साक्ष्य के अभाव में जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या-51/2022 दिनांकित 06.05.2022 को समाप्त की जाती है,जिस पर वादी को नोटिस भेजी गयी एवं तदोपरान्त वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा शकील व इसरार का बयान अंकित किया गया है तथा खाद्य निरीक्षक के कार्यालय के अजय कुमार,रजत कुमार,राजकुमार व शैलेन्द्र कुमार का बयान अंकित किया गया है। वादी का यह कथन है कि दौरान विवेचना उसके द्वारा विवेचक को विवेचना में शामिल किये जाने हेतु शपथपत्र स्वंय का व मुहम्मद इसरार,मोहम्म्द शकील व दिलासा के दिये गये थे,परन्तु उसे विवेचना में शामिल नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के साथ साथ एक सी०डी० व फोटोग्राफ्स संलग्न किये गये है,जिसके सम्बन्ध में वादी के कथनानुसार विवेचक द्वारा विवेचना नहीं की गयी है।केस डायरी के पर्चे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कि वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा दौरान विवेचना शपथपत्र विवेक को प्रस्तुत किये गये थे,परन्तु विवेचक द्वारा उसे विवेचना में शामिल नहीं किया गया,इस तथ्य का उल्लेख किसी भी पर्चे में नहीं है कि कथित शपथपत्र विवेचक को प्राप्त हुये है अथवा नहीं। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ फोटोग्राफ्स व सी.डी.दाखिल किये गये है,जिसके सम्बन्ध में भी विवेचक द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

9. अतः इन समस्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार अन्तिम रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रोस्टेट प्रार्थनापत्र के प्रकाश में अंतिम रिपोर्ट संख्या 51/2022 दिनांकित 06.05.2022 निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र 9क आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवेचक को समस्त पुलिस प्रपत्र मूल रूप से वापस किये जाते हैं ।

11. थानाध्यक्ष सिविल लाइन को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ किसी उपनिरीक्षक से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोस्टेट प्रार्थनापत्र के प्रकाश में व उसमें उठाये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं उक्त प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सी.डी. व फोटोग्राफ्स तथा शपथपत्र में किये गये अभिकथनों के सम्बन्ध में अग्रेतर विवेचना कर अपनी आख्या विधि सम्यावधि में न्यायालय के समक्ष पेश करें । साथ ही साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है एवं कथित घटना सरकारी कार्य करने के

दौरान घटित हुयी है। यह भी आदेशित किया जाता है कि वह धारा–197 द० प्र० संहिता में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन की बाबत भी विवेचना संपादित करें।

दिनांक–21.12.2023

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–7/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम)
इटावा।
J.O.Code NO.U.P1546

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2023.12.22 16:35:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court